

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सचनऊ

संख्या:- प्राविषा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सचनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/परमैनी कन्वेंशनल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विस्तार/संशोधन स्तरीय तकनीकी शिक्षा समस्याओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपाय प्राविधिक शिक्षा परिषद, आषा सचनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई समस्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित समस्याओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम धरोहर समता वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न सूची में उल्लिखित नई समस्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, आषा सचनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1954-RAJKIRAN COLLEGE OF PHARMACY, YAKUTPUR, MORADABAD

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य विहित विनियम एवं सूचना का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुलीन पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्याप्त छात्रछात्राओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले अधिसूचना/पत्राचारों को, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को 100% प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप-समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमन-2000 की धाराओं का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित स्थानों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 100% (सीटों हेतु पीपीआई) में भाग्यहीन भव हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बसाये गये विधि, नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपपठ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बसाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विवेक बाध्य होगी।
- ✓ जिनमें इन कार्यों में पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी पी आई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित नस्यवाही करनी होगी।
- ✓ जिनमें इन कार्यों में पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीपीआई/आईपी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे शरणा की ऐडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठभूमि, स्टॉफ, सत्र-सत्रता, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो न कि संस्था में परमांकित संयोजित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु शिक्षण समिति का समस्त उपलब्ध कार्य गये अधिनियम, भूमि अधिनियम, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त सिद्ध होने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जाएँ 100% (सीटों हेतु पीपीआई) में भाग्यहीन भव हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नहीं भेजे जाये हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त का दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता हारने का अनुपालन न करने वाले संस्थाओं को 100% उत्तरदायित्व सिद्ध होने की स्थिति में नियमानुसार

मनुष्योऽस्मात्सर्वेषु जन्तुषु सर्वोत्तमः।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुणसं- शासिकापरिषद् संख्या/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पालिका-

प्रधानाचार्य/निदेशक RAJKIRAN COLLEGE OF PHARMACY, YAKUTPUR, MORADABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव